



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/109/2013/एफ.सी./404

दिनांक: 14.09.2018

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषय : 400 के०वी०डी०सी० बाढ़-गोरखपुर पारिषण लाईन हेतु जनपद गोरखपुर में 0.6578 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 24 वृक्षों के पातन की तथा जनपद देवरिया में 0.092 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 14 वृक्षों के पातन की अर्थात् कुल 0.7498 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 38 वृक्षों के पातन के संबंध में।

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या-426/11-सी-समेकित, लखनऊ, दिनांक 24.08.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-08/11-सी-02, लखनऊ, दिनांक- 26.07.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-30.09.2013 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 400 के०वी०डी०सी० बाढ़-गोरखपुर पारिषण लाईन हेतु जनपद गोरखपुर में 0.6578 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 24 वृक्षों के पातन की तथा जनपद देवरिया में 0.092 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 14 वृक्षों के पातन की अर्थात् कुल 0.7498 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 38 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने (38x10=380) अर्थात् 380 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। यह वृक्षारोपण विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारिषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. पारिषण लाईन का संरक्षण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।
6. पारिषण लाईन के लिए राइट ऑफ वे (right of way) की चौड़ाई 46 मीटर तक सीमित रहेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समुचित स्थानों पर सर्किट अवरोधक (circuit breakers) लगाए जाएंगे। साथ ही वन्य प्राणियों को विद्युत स्पर्शघात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउन्ड क्लीयरेंस (ground clearance) रखना सुनिश्चित किया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।
9. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
10. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
11. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर कर्मांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
16. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

 (के0 के0 तिवारी)
 वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति0 वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली- 110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय निदेशक, देवरिया वन प्रभाग, देवरिया, उ0 प्र0।
6. श्री ए0के0 सिंह, प्रबन्धक निर्माण, पावन गिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
7. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली।

(के0 के0 तिवारी)
 वन संरक्षक (के0)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-604 /11-सी, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 19, 2018

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव (वन), उ0प्र0 शासन, वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2, लखनऊ को प्रस्ताव की एक प्रति एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विषयगत प्रकरण में विज्ञप्ति निर्गत करने की कृपा करें।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, देवरिया एवं गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- मुख्य निर्माण प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल, कॉ0 लि0, पी0एम0बी0पी0एल0 प्रोजेक्ट, एम0-3/37, एस0के0पुरी, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18/9
 (पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ0प्र0, लखनऊ।